न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 77/2025 राजस्व वाद

01. भंवर लाल पुत्र श्री बरदा जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज०)
——वादी

बनाम

01. कंकू पत्नी श्री नंगजी जाति कुमावत उम्र बालिग निवारी करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज०)
02. पीरू पुत्र श्री नंगजी जाति कुमावत उम्र बालिग निवारी करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज०)
03. धन्ना पुत्र श्री नंगजी जाति कुमावत उम्र बालिग निवारी करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज०)
04. रोशन पुत्र श्री नंगजी जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज०)
05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
06. उपपंजीयक महोदय पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट वादपत्र बाबत घौषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :–
. श्री मुकेश सिंह तंवर —अधिवक्ता
. श्री मनोहर लाल सैन ——प्रतिवादी संख्या 01 से 04
. पेरोकार सरकार ——अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 05 एवं 06

:: निर्णय :: दिनांक– 09.09.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत घौषणा, न्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत थायी घोषणा, इन्द्राज दूरुस्थी व स्थायी निषेधाज्ञा के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद ग्राम रेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता ख्या 371 मे खसरा नम्बर 4013 रकबा 0.5438 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 4025 रकबा 0.2656 हैक्टयर ल किता 02 कुल रकबा 0.8094 हैक्टयर भूमि राजस्व जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 के अनुसार भूमि थत है, जिसे आगे विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया जावेगा। वादपत्र की चरण संख्या 01 वर्णित आराजियात मे जमाबंदी संवत 2071 से 2074 मे वकादी के पिता बरदा पुत्र श्री रूपा के नाम दर्ज कार्ड थी एंव इंतकाल संख्या 6759 मे डिक्री से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध उक्त आराजियात का 1/2 क हिस्सा निहित होकर इंतकाल खोला गया एवं उक्त आराजियात पर वादी का कब्जा है और उसी कब्जे अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। दिंनाक 15/04/2025 कको प्रविताटी संख्या 01 गायत 04 द्वारा वादी को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया व वादी जिस भूमि पर काबिज है वो नी होना बताया इस पर वादी ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो वादी को जानकारी मे आया कि माबंदी संवत 2071 से 2074 मे खसरा नम्बर 4013 रकबा 0.5438 हेक्टयर एवं खसरा नम्बर 4025 रकबा 2656 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 0.8094 हैक्टयर भूमि मे वादी के पिताजी के देहान्त के उपरान्त जस्व कर्मचारीयो की मिलाभगती के कारण बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के नाम पर दर्ज कर दी जो कि गलत होकर वादी दुरूस्त कराने धिकारी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को कहा कि राजस्व`रकार्ड मे गलत तौर पर भ र्ज की है, जिसे दुरूस्त करावे, लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 चार तैयार नही हुए है व ग र्ज की आड़ मे वादी को जबरन बेदखल करने व आराजियात को खुर्द बुर्द करने, रहन बैचान, हस्तां

व भारित करने की धमकी दी। वादी ने राजस्व रेकार्ड का अवलोन करवाया तो जानकारी हुयी कि राजस्व कर्मचारीयो की लापरवाही के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के खसरा नम्बर 4013 रकबा 0.5438 हेक्टयर, खसरा नम्बर 4025 रकबा 0.2656 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 0.8094 हैक्टयर भूमि जो कि जमाबदी सम्वत 2071 से 2074 मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का 1/2, 1/2 हक हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 वादी की कब्जेशुदा कृषि आराजियात गलत तौर पर वादी को जबरन बेदखल करने व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण के उपस्थित होकर प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड मे गलत इन्द्राज होने व वादी का हक हिस्सा व वादी का नाम दर्ज करने हेतु सहमति दी व आदेशिका मे हस्ताक्षर किये गये व वादी द्वारा साक्ष्य मे शपथपत्र पेश किया व दस्तावेजात पेश किये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये व प्रदर्शित किये गये।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजियात जो कि वादी के पिता बरदा पुत्र श्री रूपा के नाम पर दर्ज होने व उनका नाम राजस्व कर्मचारीयो की लापरवाही से दर्ज होने से रह जाने से वादी को 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घौषित करने व नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, वादग्रस्त आराजियात जो कि जमाबदी संवत 2071–2074 मे वादी के पिता बरदा पुत्र श्री रूपा 1/2 हक हिस्सा व नाम दर्ज है व वादी के पिता का नाम गलत तोर पर विलोपित हुआ है, प्रतिव संख्या 01 लगायत 04 द्वारा भी अपनी सहमति दी है। इस कारण से वादी को 1/2 हक हिस्से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के साथ खातेदार काश्तकार घौषित करना उचित पाता हूँ व उप विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहंद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्ष करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 4013 रकबा 0.5438 हैक्टयर, म्बर 4025 रकबा 0.2656 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 0.8094 हैक्टयर भूमि मे वादी को प्रतिवादी लगायत 04 चार के साथ 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार किया जाता है व उक्त भूमि कार्ड मे भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के नाम दर्ज करायी जावे व 1/2 हक र्ज किया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना रायी जावें। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 77 / 2025 राजस्व वाद

01. भंवर लाल पुत्र श्री बरदा जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज०) ——वादी

बनाम

01. कंकू पत्नी श्री नंगजी जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज०)
02. धीरू पुत्र श्री नंगजी जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज०)
03. धन्ना पुत्र श्री नंगजी जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज०)
04. रोशन पुत्र श्री नंगजी जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी करेड़ा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज०)
05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
06. उपपंजीयक महोदय पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू वादपत्र बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरुस्ती

——

वादी की ओर से श्री मुकेश सिंह तंवर , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से मनोहर ...न की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 09.09.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के ... होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि और इस मद के खर्चे लेखो ... ...यो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहि... ...शि नील को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू ...रीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 4013 रकबा ...टयर, आराजी नम्बर 4025 रकवा 0.2656 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 0.8094 हैक्टयर भूमि मे ...वादी संख्या 01 लगायत 04 चार के साथ 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार किया ज... ...त भूमि राजस्व रेकार्ड मे भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के नाम दर्ज करायी... ...2 हक हिस्सा दर्ज किया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर ...ना सुनिश्चित करायी जावें।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 09.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी ...

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)